HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 91/2025

1. Smt. Sangeeta Sachdeva W/o Late Sh. Rajkumar Sachdeva, Resident Of C-45, Gali No. 04, Krishna Nagar, Bajrang Nagar, Kota (Rajasthan)
2. Rohit Sachdeva S/o Late Sh. Rajkumar Sachdeva, Resident Of C-45, Gali No. 04, Krishna Nagar, Bajrang Nagar, Kota (Rajasthan)

----Petitioners/Defendants

Versus

1. Lalit Kumar Rasaniya S/o Late Jamna Lal, Aged About 75 Years, Resident Of 439, Gumanpura, Kota- Rajasthan.
2. Yogendra Kumar Rasaniya S/o Late Jamna Lal, Aged About 81 Years, Resident Of 439, Gumanpura, Kota- Rajasthan.
3. Jitendra Kumar Rasaniya S/o Late Jamna Lal, Aged About 78 Years, Resident Of 439, Gumanpura, Kota- Rajasthan.
4. Hemendra Kumar Rasaniya S/o Late Jamna Lal, Aged About 73 Years, Resident Of 439, Gumanpura, Kota- Rajasthan.
5. Tribhuvan Kumar Rasaniya S/o Late Jamna Lal, Aged About 70 Years, Resident Of 439, Gumanpura, Kota- Rajasthan.

----Respondent-Plaintiffs

6. M/s Sachdeva Wool Emporiyam, 439- Gumanpura, Kota Rajasthan.

----Performa Respondent-Defendant no. 3

For Petitioner(s) : Mr. Mukesh Sharma
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

07/05/2026

निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता विद्वान न्यायालय किराया अधिकरण, कोटा, राज. द्वारा ललित कुमार रसानिया और अन्य बनाम श्रीमती संगीता सचदेवा और अन्य प्रकरण संख्या 147/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायालय किराया अधिकरण, कोटा ने निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र

अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया है।

निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रत्यर्थीगण/अर्जीदारान के द्वारा वादग्रस्त दुकान को मनोहरलाल सचदेवा को किराये पर दिए जाने के अर्जीदारान के हस्ताक्षरशुदा दस्तावेज़ विद्वान न्यायालय किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गए है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनोहरलाल सचदेवा ही विवादित दुकान में व्यवसाय कर रहा है। निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण का विवादित दुकान पर कोई कब्जा नहीं है।

अतः निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण ने वादकारण के अभाव के होने के कारण विद्वान् न्यायालय किराया अधिकरण में प्रत्यर्थीगण/अर्जीदारान के द्वारा संस्थित अर्जी पोषणीय नहीं होने के कारण वाद खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

निगरानी याचिका पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण ने विद्वान न्यायालय किराया अधिकरण के समक्ष अर्जीदारान के द्वारा संस्थित अर्जी में वादकारण से संबंधित प्रश्न उठाए है, जिनके संबंध में विद्वान न्यायालय किराया अधिकरण विवाद्यक विरचित कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिनुसार वादकारण के बिंदुओं को अवधारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वादग्रस्त दुकान पर मनोहरलाल सचदेवा या निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण व्यवसाय कर रहे हैं या उक्त वादग्रस्त दुकान पर किसका कब्जा है।

अतः निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में अंकित अपने तर्कों को विरचित विवाद्यकों को निर्णीत किए जाते समय बहस के दौरान उठा सकते हैं। इस स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अर्जीदारान

के द्वारा संस्थित सिविल वाद संख्या 147 /2020 को खारिज किए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार नहीं है।

तद्नुरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता निस्तारित की जाती है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /82